सर्वोच्च प्राथमिकता

# लोक शिक्षण संचालनालय
## मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.1 / राज / एफ / 4 / 10 / 2010 / 699 भोपाल, दिनांक 19/5/10

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ
संचालक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः—मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं 1965 के नियम 19 अंतर्गत अचल सम्पत्ति की जानकारी की पोर्टल में प्रविष्टि उपरांत हार्डकापी के संधारण विषयक।

मध्यप्रेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी –5/94/3/1/ दिनांक 05 जनवरी 1994 द्वारा निर्देश जारी किए गये थे कि प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल सम्पत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम अधिकरी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा। यदि कोई शासकीय सेवक उपनियम 19 (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरूद्ध आचरण नियमों के अतंर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का अद्यतन अचल सम्पत्ति विवरण उनके विभाग की वेबसाईट पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं। विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपना सम्पत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत करें एवं प्राप्त सम्पत्ति विवरण विभाग की वेबसाईट पर सार्वजनिक कर दिया गया है। यह जानकारी प्रतिवर्ष वेबसाईट पर अद्यतन की जाएगी।

इस संबंध में एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विभाग के सभी लोक सेवक अपने अचल सम्पत्ति विवरण निम्नानुसार संधारणकर्ता अधिकारी/ कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:—

| स.क्र. | लोक सेवक सेवा श्रेणी | संधारणकर्ता अधिकारी / कार्यालय |
|---|---|---|
| 1 | संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी,<br>जिला योजना समन्वयक<br>जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी<br>प्राचार्य उ.मा.वि.<br>प्राचार्य हाई स्कूल | आयुक्त लोक शिक्षण |
| 2 | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी<br>व्याख्याता<br>प्रधान अध्यापक | संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण |
| 3 | शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी | जिला शिक्षा अधिकारी |

**उक्त वांछित जानकारी पारदर्शिता की दृष्टि से पोर्टल पर प्रविष्टी की जाकर हार्ड कापी संधारणकर्ता अधिकारी / कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। लोक सेवक द्वारा अचल सम्पत्ति की जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत न किया जाना कदाचार की श्रेणी में माना जाकर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशसनात्मक कार्यवाही की जाए।**

संचालक (प्रशासन)
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश